तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तारीख
26.7.24	प्रार्थी (वादी) के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार (सांगोद) से वि.प्र. प्राप्त हो चुका है, वि.प्र. पर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई, अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. पत्र किया जाता। निर्णय खुले इजलास सुनाया जाता। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [initials]	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 109 / 2024

तारीख दायरा 27.03.2024

उनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम खरखडा आसन तहसील अटरू जिला बारां।
2. बनवारी पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम चौकी भैरूपुरा तहसील बारां।
3. देवकरण पुत्र जोधराज जाति नायक निवासी बपावरकलां तहसील सांगोद कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. हेमराज पुत्र रघुनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम बरां तहसील सांगोद।
2. सुमित्रा बाई पुत्री रघुनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम बरां तहसील सांगोद।
3. कैलाशबाई पुत्री रघुनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम बरां तहसील सांगोद।
4. बाबू पुत्र नेनगा जाति बैरवा निवासी ग्राम बरां तहसील सांगोद।
5. केसर पत्नी नेनगा जाति बैरवा ग्राम बरां तहसील सांगोद।
6. सीताबाई पुत्री नेनगा जाति बैरवा ग्राम बरां हाल बपावरकलां तहसील सांगोद।
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामकरण जाति बैरवा,
8. अशोक पुत्र रामकरण जाति बैरवा,
9. राजेश पुत्र रामकरण जाति बैरवा,
10. कौशल्या पत्री रामकरण जाति बैरवा,
11. पुष्पाबाई पत्नी रामकरण जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम बरां तहसील सांगोद हाल हाउसिंग बोर्ड के सामने आम्बापुरा बारां।
12. संतोष पुत्र गोपाल जाति बैरवा,
13. बसन्ती कुमारी पुत्री गोपाल जाति बैरवा,
14. राधाबाई पत्नी गोपाल जाति बैरवा,

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

15. शालीनी पुत्री शांतिलाल नाबालिग जरियेवली माता रजनी पत्नी शांतिलाल जाति बैरवा,

16. लक्ष्मी पुत्री शांतिलाल नाबालिग जरियेवली माता रजनी पत्नी शांतिलाल जाति बैरवा,

17. हरिओम पुत्र शांतिलाल नाबालिग जरियेवली माता रजनी पत्नी शांतिलाल जाति बैरवा,

18. रजनी पत्नी शांतिलाल जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :— 26.07.2024

श्री सरकार पैरोकार

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 659 खसरा सं0 1980 रकबा 1.64 हैक्टेयर कुल 1 किता की 1.64 है. आराजी एवं माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 461 के खसरा सं0 1606 रकबा 1.25 हैक्टेयर, ख.न. 1844 रकबा 0.93 है. कुल 2 किता कि 2.18 हैक्टेयर व माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 462 के खसरा सं0 1189 रकबा 0.14 हैक्टेयर, ख.न. 1605 रकबा 0.64 है. कुल 2 किता कि 0.78 हैक्टेयर आराजीयात स्थित है जिसमें वादीगण 1 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 ता 3, प्रतिवादी सं. 4 ता 11, प्रतिवादी सं. 12 ता 18 अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

उप खण्ड अधिकारी

यह कि वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का वादीगण अपनी सुविधा अनुसार विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त खाता होने से अपने कब्जे काश्त की आराजी पर विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं तथा विकास कार्य करवाने में सरकार से मिलने वाली ऋण सुविधा व अन्य सुविधा व अनुदान राशि भी प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, जिससे वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व रेकार्ड अनुसार घोषणा करवाने एवं बंटवारे की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यलय में चलकर बंटवारा करवाने में सहयोग नहीं किया तथा पटवारी हलका महोदय द्वारा भी वादीगण के कब्जे काश्त अनुसार हिस्सा दर्ज करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तथा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने पर वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादर पारित करने की कृपा करें –

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 659 खसरा सं0 1980 रकबा 1.64 हैक्टेयर कुल 1 किता की 1.64 है. आराजी एवं माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 461 के खसरा सं0 1606 रकबा 1.25 हैक्टेयर, ख.न. 1844 रकबा 0.93 है. कुल 2 किता कि 2.18 हैक्टेयर व माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 462 के खसरा सं0 1189 रकबा 0.14 हैक्टेयर, ख.न. 1605 रकबा 0.64 है. कुल 2 किता कि 0.78 हैक्टेयर आराजीयात में पक्षकारान की मौके पर काबिज काश्त अनुसार आराजी का विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावे तथा राज लगान का पृथक–पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किया जावे। साथ ही वादी सं. 3 देवकरण की जाति बैरवा के स्थान पर नायक दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री भी पारित की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 19 वावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थिति रहे, अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद का

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसके उपरान्त पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में एकतरफा बहस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य यथा पी.डब्ल्यू 1 देवकरण, पी.डब्ल्यू 2 सुरेश एवं बनवारी एवं विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी आदि प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 19 फॉमर्ल पक्षकार है। प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 देवकरण, पी. डब्ल्यू 2 सुरेश एवं बनवारी आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दिनांक 08.07.2024 को वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तथा विवादित आराजी पर पक्षकारों की सहमति हो तो मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार अन्यथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से पृथक से दर्ज कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यू नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार करने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 659 खसरा सं0 1980 रकबा 1.64 हैक्टेयर कुल 1 किता की 1.64 है. आराजी एवं माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 461 के खसरा सं0 1606 रकबा 1.25 हैक्टेयर, ख.न. 1844 रकबा 0.93 है. कुल 2 किता कि 2.18 हैक्टेयर व माल ग्राम बपावरकलां पटवार हलका बपावरकलां तह0 सांगोद की खाता सं0 नई 462 के खसरा सं0 1189 रकबा 0.14 हैक्टेयर, ख.न. 1605 रकबा 0.64 है. कुल 2 किता कि 0.78 हैक्टेयर आराजीयात में पक्षकारान का खाता निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है –

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

ग्राम	खातेदार	खसरा नं.	रकबा है.	किस्म	लगान
बपावर कलां	1. देवकरण पुत्र जोधराज जाति नायक हिस्सा 3137/8200 2. बनवारी लाल पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा हिस्सा 2897/8200 3. सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल हिस्सा 1083/4100	1980	1.64	चाही द्वितीय	44.28
		कुल 1 किता की 1.64 है. आराजी कुल 44.28 रूपये लगान			

ग्राम	खातेदार	खसरा नं.	रकबा है.	किस्म	लगान
बपावर कलां	1. अशोक, चन्द्रप्रकाश, राजेश पुत्रान रामकरण, कौशल्या बाई पुत्री रामकरण, पुष्पाबाई पत्नि रामकरण जाति बैरवा हिस्सा 1/60 प्रत्येक 2. हेमराज पुत्र रघुनाथ, कैलाश बाई, सुमित्रा बाई पुत्रियां रघुनाथ जाति बैरवा हिस्सा 1/9 प्रत्येक 3. बाबू पुत्र नेनगा, सीता बाई पुत्री नेनगा, केसर पत्नि नेनगा जाति बैरवा हिस्सा 1/12 प्रत्येक 4. संतोष कुमार पुत्र गोपाल, बसन्ती बाई पुत्री गोपाल, राधा बाई पत्नि गोपाल जाति बैरवा हिस्सा 1/12 प्रत्येक 5. नाबा. हरिओम पुत्र शांतिलाल, नाबा. शालिनी, नाबा. लक्ष्मी पुत्रियां शांतिलाल, रजनी पत्नि शांतिलाल जाति बैरवा हिस्सा 1/48 प्रत्येक (नाबालिग की वली माता रजनी)	1189	0.14	चाही प्रथम	4.62
		1605	0.64	चाही तृतीय	14.08
		1606	1.25	चाही तृतीय	27.50
		1844	0.93	चाही तृतीय	20.46
		कुल 4 किता की 2.96 है. आराजी कुल 66.66 रूपये लगान			

उक्तानुसार पक्षकारान को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषण के अनुक्रम में इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)